

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन प्रशाखा)

अधिसूचना

पत्र संख्या- 15/डी0 एल0 ए0 बक्सर (संपर्क सड़क)-01/13 - 1538/रप.दि-19-06-17

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा- देवदिया, थाना नं० 143, अंचल - राजपुर, जिला बक्सर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सम्पर्क अर्थात् सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसके लिए एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा- देवदिया, थाना नं० 143, अंचल- सिमरी जिला बक्सर के अन्दर एक भूखण्ड अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वेश रकबा 0.58 एकड़ के बराबर होता है। जिसका अर्जनाधीन खेसरा निम्नांकित है:-
अंश खेसरा - 437, 440, 442, 443, 444, 445, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455
जिसका चौहद्दी निम्नवत है:-

खेसरा सं०	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
440	577	442	441, 442	439
442	440	443	442 अंश	438
443	442	437, 444 अंश	443 अंश	438
437	443, 438	431, 445	444	433
444	443	453	458, 460	437
445	437	446	452, 453	430, 431, 428, 45
453	444	452	456, 457	445, 446
452	453	451	454	446
451	452	448	450	451
450	454	448	449	450
449	455	448	486, 488	447
448	490, 450, 451	1877	491, 489	494
454	456	450	455	452
455	456	452	450	455

यह अधिसूचना भू- अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा (4) के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध है। भूमि का नजरी नक्शा भू- अर्जन कार्यालय, बक्सर में देखा जा सकता है। बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना हेतु धारा 4 (1) के अनुसंधान में तत्समय लगे पदाधिकारी तथा कर्मचारी को प्राधिकृत करते है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा -2 में उपबंधित यथा निर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करें है। कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा -2 में उपबंधित यथा निर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करें है। चूँकि बिहार के राज्यपाल की राय है कि उक्त 0.58 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है और उसका शीघ्र अर्जन आवश्यक है।

अतः अधिनियम की धारा 17 की उप धारा-4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ए का उपबन्ध भूमि पर लागू नहीं होगा।

अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर। अपर समाहर्ता, बक्सर। समाहर्ता, बक्सर। बिहार के राज्यपाल के आदेश से सरकार के सचिव

ज्ञापांक...15.38./रप.../ दिनांक...19-06-17.....

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, बक्सर को सी०डी०सहित एवं पाँच प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी, समान्य शाखा, समाहर्णालय, बक्सर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पाँच प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि:- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव